-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.05.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **मौरंग खदान बन्द कराने व फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर 50 हजार रुपये की जबरन वसुली करने वाली अभियुक्ता को थाना पैलानी पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना पैलानी पुलिस द्वारा खदान बन्द कराने व फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर जबरन वसुली करने वाली अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि आज दिनांक 17.05.2025 को थाना पैलानी क्षेत्र के साड़ी मोरंग खदान खण्ड संख्या-77 के खदान इंचार्ज विजय सचान द्वारा थाना पैलानी पर सूचना दी कि ग्राम साड़ी के अमान डेरा की रहने वाली उषा निषाद द्वारा खदान बन्द कराने व दुष्कर्म के फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर 50 हजार रुपये की जबरन वसुली की गई। सूचना पर तत्काल थाना पैलानी में अभियोग पंजीकृत करते हुए महिला को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. उषा निषाद पुत्री रामचरन निषाद निवासी अमान डेरा मजरा साड़ी थाना पैलानी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अं0सं0 114/25 धारा 308(6)/351(2) बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- श्री रोशन गुप्ता चौकी प्रभारी खप्टिहाकला थाना पैलानी मय टीम